

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)
भारत सरकार

निविदा प्रपत्र

निविदाकार का नाम :-

निविदाकार का पता :-

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :- 21-03-2022 दोपहर 03:00 बजे तक ।

निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 21-03-2022 दोपहर 03:00 बजे तक ।

फर्म का पंजीयन संख्या :-

पैन कार्ड क्र. / जी.एस.टी. क्र. :-

निविदा प्रपत्र

(माल की मात्रा एवं विशिष्ट विवरण)

अवधि 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक

क्र.	आयटम एवं विशिष्ट विवरण	मात्रा	दर (अंकों में)	दर (शब्दों में)
01	02	03	04	05
1	चावल (साफ, अच्छी किस्म)			
(i)	काली मूँछ			
	222 काली मूँछ डबरा राइस/ बंशी वाला काली मूँछ डबरा राइस/ कृष्ण भोग काली मूँछ डबरा राइस/श्यामभोग काली मूँछ चावल/ एच.के. ब्राण्ड काली मूँछ चावल	200 क्विंटल		
(ii)	बासमती			
(अ)	इंडिया गेट- नेकलेस ब्राण्ड / इंडिया गेट- आरती ब्राण्ड	10 क्विंटल		
(ब)	काहिनूर बासमती चावल			
(स)	दावत बासमती चावल			
(iii)	गोल्डन सेला			
(अ)	दो फूल गोल्डन सेला चावल	20 क्विंटल		
(ब)	इंडिया गेट- सुपर तिवार गोल्डन सेला चावल			
(स)	हरि पत्ती गोल्डन सेला चावल (रियाज)			

नोट:-

1. निर्माता द्वारा सीलबंद माल ही स्वीकार किया जायेगा।
2. कॉलम 4 व 5 निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिये।
3. निविदा भरते समय दरें स्पष्ट लिखी जाना चाहियें। दरों में डिस्काउण्ट आदि दर्शाए जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी।
4. निविदा में दिये जाने वाली दरें, जी.एस.टी. अथवा अन्य कर सहित होगी।
5. निविदा के साथ चावल के नमूने सीलबंद पैकेट में प्रस्तुत किये जावे, जिस पर फर्म का नाम एवं चावल का नाम अंकित हो। नमूने प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

:: घोषणा ::

मैं / हम इस प्रपत्र के कॉलम 4 एवं 5 में उपरोक्तानुसार भरी गई दरों पर निविदा प्रस्तुत करता हूँ / है। यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं / हम/ मेरे/ हमारे द्वारा निविदा शर्तों के आधार पर माल सप्लाई करने का बचन देता हूँ / है।

मैं / हम/ मेरे/ हमारे द्वारा संस्थान की मांग पर सप्लाई करने की असमर्थता की दशा में / हम/ मेरे/ हमारे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही जिसमें मैं / हम/ मेरे/ हमारे अयोग्य घोषित करने का निर्णय यदि संस्थान लेती है तो मैं / हम/ मेरे/ हमारे स्वीकार होगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम:

फर्म का नाम

फर्म का पता

फोन नं.....

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)
भारत सरकार

निविदा शर्तें

1. निविदा प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका कोई शुल्क देय नहीं है।
2. निविदा जिस लिफाफे में भरकर प्रस्तुत करें उसके बांयी ओर कोने पर निविदा (आयटम का नाम) के लिये लिखा होना चाहिये तथा निविदाकार का पता भी दर्शाया जाना चाहिये।
3. निविदा में दर्शाई गई वस्तुओं की मात्राएँ केवल अनुमानित हैं तथा यह मात्रा 20 प्रतिशत घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये निविदाकार किसी भी क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।
4. निविदा स्वीकृति हेतु निविदा प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन तक निविदा अभिलेख कुलसचिव कार्यालय में खुले रहेंगे।
5. निविदा में दर्शाई गई सभी वस्तुओं को संस्थान के भोजनालय स्टोर तक निविदाकार द्वारा स्वयं के खर्च पर पहुंचाना होगा।
6. माल प्रदाय करते समय डिलेवरी चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना चालान के माल स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. सामग्री की आपूर्ति मांगकर्ता अधिकारी की मांग के अनुसार की जावेगी। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करना अनुबंध को भंग करना माना जावेगा तथा जितने माल की मात्रा की मांग की जायेगी उतना ही पूरा माल एकमुश्त संस्थान के भोजनालय के भण्डार में प्रदाय करना होगा। आपूर्ति की गयी किसी भी वस्तु के वजन में कमी को आपूर्ति न करना माना जायेगा तथा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध की शर्तों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
8. सफल निविदाकार को सामग्री की अनुमानित मात्रा के मूल्य का 03 प्रतिशत की निष्पादन सुरक्षा निधि निविदा स्वीकृति की दिनांक से 10 दिन के अंदर जमा करना होगा। निष्पादन सुरक्षा सावधि जमा रशीद (एफ.डी.आर.) के रूप में भी जमा की जा सकती है। निष्पादन सुरक्षा संतोषप्रद आपूर्ति के पश्चात ही वापिस की जायेगी। अनुबंधी की शर्त का उल्लंघन करने पर निष्पादन सुरक्षा को जप्त कर लिया जायेगा एवं उक्त हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
9. संस्थान के कुलपति/कुलसचिव किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने या किसी भी निविदा की संपूर्ण अथवा कुछ भाग को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत किये जाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
10. शर्तों के साथ प्रस्तुत की जाने वाली निविदाएँ मान्य नहीं की जायेगी।

11. सफल निविदाकार को 100/-रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध के विधिपालन करने के लिये अनुबंध करना होगा। बिना अनुबंध किये व सुरक्षानिधि जमा करायें बिना निविदाकार का माल संस्थान में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. माल की सप्लाई भण्डारगृह पर सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं शाम को 3:00 बजे से 5:00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।
13. माल की सप्लाई बगैर तौल एवं सूची/डिलीवरी चालान के स्वीकार नहीं की जायेगी तथा माल की निविदाकार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तौल की जायेगी जो निविदाकार को मान्य होगी।
14. निविदाकार द्वारा माल प्रदाय करने हेतु किसी भी एक व्यक्ति को नामांकित करना होगा तथा उसका नाम कार्यालय में दर्ज कराना आवश्यक होगा।
15. ठेकेदार माल प्रदाय करने का मासिक बिल अपने छपे हुये बिल फार्म (अर्थात फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जी.एस.टी. नंबर आदि सहित) दो प्रतियों में भुगतान हेतु माह समाप्त होने के 7 दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करने होंगे।
16. निविदा दिनांक 21-03-2022 को समय 03:00 बजे अपरान्ह तक संस्थान के भोजनालय कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डाला जाना सुनिश्चित करें। उक्त समय के पश्चात् कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा खुलने का समय उसी दिन दोपहर 03:30 बजे अपरान्ह है, उक्त दिनांक को कोई शासकीय अवकाश या किसी अन्य कार्यावश कार्यालय बंद रहने की स्थिति में दूसरे दिन उसी समय पर निविदा खोली जावेगी।
17. बिल की राशि पर आयकर, वस्तु एवं सेवा कर एवं शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य कर नियमानुसार काटे जायेंगे।
18. निविदा के साथ संलग्न किये गये नमूने के अनुसार ही आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिये। नमूने की गुणवत्ता से निम्न गुणवत्ता का माल प्रदाय करने पर मैस के अधिकारी को माल अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी तथा उक्त निरस्त किये गये माल को संस्थान से न उठाये जाने पर रुपये 500/-प्रतिदिन भण्डारण शुल्क बसूल किया जायेगा तथा इस प्रकार वापिस ले जाये गये माल के एवज में बाजार से माल खरीदा जा सकेगा तथा खरीद किये गए माल पर अधिक भुगतान की गई राशि निविदाकार से वसूल की जावेगी। निश्चित अवधि में एवं उचित आपूर्ति न किये जाने पर अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
19. स्वीकृत निविदा की संपूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात् ही सफल निविदाकार को प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर भारतीय मध्यस्थ अधिनियम के अंतर्गत कुलपति के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा निराकरण किया जावेगा तथा उभय पक्षों पर

मध्यस्थ के द्वारा पारित अवार्ड बाध्यकारी होगा एवं उसके विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु नहीं जावेगा।

20. निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:-

- (1) पेनकार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति।
- (2) फर्म का विगत 3 वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि।
- (3) फर्म का संबंधित खाद्य सामग्री का खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के अंतर्गत पंजीयन/लाइसेंस की प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त दस्तावेजों की मूलप्रति मांगे जाने पर सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगी। गलत जानकारी/दस्तावेज पाये जाने पर प्रशासकीय कार्यवाही की जावेगी।

र. एस. साबान
25.04.22
कुलसचिव

25

FIDELITY BOND
SERIAL